हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017
फोनः **0141-2710122** ई-मेलः *registrar.hju@gmail.com* *hju.postal@gmail.com*

क्रमांकःप.5(33) एचजेयू/प्रशा/मीटिंग/विप/2020/1740 दिनांक : 22/01/2020

विद्यापरिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 21.01.2020 का कार्यवाही विवरण

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 25 के अन्तर्गत गठित विद्यापरिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 21.01.2020 को सुबह 11.00 बजे कॉन्फ्रेन्स हॉल, पहली मंजिल, होटल रैड फॉक्स, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में विद्यापरिषद् के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री ओम थानवी	कुलपति एवं अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
2	डॉ. मनोज कुमार लोढा	डीन, पत्रकारिता संकाय एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
3	श्री राजपाल सिंह यादव	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पदेन संयुक्त सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
4	डॉ. मोहम्मद नईम	संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग एवं सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
5	श्री ओम सैनी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
6	श्री अशोक कुमार शर्मा	कुलसचिव एवं सदस्य सचिव विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
7	श्री रतन सिंह शेखावत	संयोजक BoS, मीडिया स्टडीज विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
8	डॉ. अजय कुमार सिंह	संयोजक BoS, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक रिलेशंस विभाग एवं एम. फिल. एंड पीएच.डी. विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017
फोन: 0141-2710122 ई-मेल: *registrar.hju@gmail.com* *hju.postal@gmail.com*

9	डॉ. ऋचा यादव	संयोजक BoS, न्यू मीडिया विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
10	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	संयोजक BoS, मीडिया डवलपमेंट स्टडीज विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
11	श्रीमती शालिनी जोशी	संयोजक BoS, बीए–जेएमसी एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर

बैठक का आरम्भ आमंत्रित अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26 में उल्लेखित विद्यापरिषद् के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) व पटल कार्यसूची (टेबल एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। तदुपरान्त पारित निर्णयों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निर्णय/टिप्पणी
1–1	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(क) एवं (ग) के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र 2019–20 से आरम्भ किए जाने के निर्णय/आदेश क्रमांक 1575 दिनांक 16.01.2020 की पुष्टि।	विद्यापरिषद् की बैठक में विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 1575 दिनांक 16.01.2020 की पुष्टि की गई।
1–2	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 (ख) एवं (ग) के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2019–20 में विश्वविद्यालय में शुरू किये गये निम्नांकित पाठ्यक्रमों एवं उनके सेमेस्टरों के संबंध में निर्णय/आदेश क्रमांक 1584 दिनांक 16.01.2020 की पुष्टि :	सर्वसम्मति से पाठ्यक्रमों व आदेश की पुष्टि की गई।
	1. एमए–जेएमसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2. एमए–जेएमसी, प्रिन्ट मीडिया 3. एमए–जेएमसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक रिलेशन्स एंड एडवरटाईजिंग 4. पी.जी. डिप्लोमा इन सोशल मीडिया एंड वैब जर्नलिज्म	
1–3	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(क) एवं (ग) के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र	सर्वसम्मति से सीटों की संख्या व आदेश की पुष्टि की गई।

कुलपति
[हरिदेव] जोशी पत्रकारिता [और जनसंचार] विश्वविद्यालय

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता [और जनसंचार] विश्वविद्यालय

HJU
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017
फोन: **0141-2710122** ई-मेल: ***registrar.hju@gmail.com*** ***hju.postal@gmail.com***

	2019–20 से शुरू किए गए पाठ्यक्रमों में सीटों का निर्धारण किए जाने के निर्णय/आदेश क्रमांक 1593 दिनांक 16.01.2020 की पुष्टि।	
1–4	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(झ) के प्रावधानों के अनुसरण में सत्र 2019–20 में 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश तथा पीजी डिप्लोमा में मेरिट के आधार पर सीधे प्रवेश की व्यवस्था के निर्णय/ आदेश क्रमांक 1527 दिनांक 16.01.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
1–5	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(ञ) के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए निर्धारित फीस संरचना के निर्णय/ आदेश क्रमांक 1537 दिनांक 16.01.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से फीस संरचना के आदेश की पुष्टि की गई।
1–6	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(ख) के प्रावधानों के अनुसरण में विद्या की विभिन्न शाखाएँ स्थापित करने तथा शिक्षण व्यवस्था निर्धारित करने हेतु शैक्षणिक सत्र 2020–21 से विभिन्न विभागों की स्थापना हेतु जारी आदेश क्रमांक 1194 दिनांक 23.12.2019 एवं आदेश क्रमांक 1603 दिनांक 16.01.2020 के निर्णय की पुष्टि।	विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से विभागों की संख्या का अनुमोदन किया गया तथा डिपार्टमेंट ऑफ एडवरटाइजिंग व पब्लिक रिलेशंस विभाग का नाम पूर्वानुसार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन व पब्लिक रिलेशंस रखने का निर्णय लिया गया।
1–7	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 (ग) एवं धारा 28 (1) व (2) के प्रावधानों अनुसरण में विभिन्न विभागों के पाठ्यक्रम विहित करने हेतु अध्ययन बोर्ड तथा तदर्थ समिति गठित किए जाने के निर्णय/आदेश क्रमांक 1235 दिनांक 24.12.2019 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
1–8	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(19) के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक सत्र में विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर प्रथम सैमेस्टर में विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता में दिए गए शिथिलन संबंधी निर्णय/आदेश क्रमांक 1307 दिनांक 30.12.2019 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई। विद्यापरिषद् में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य श्री ओम सैनी का आग्रह था कि विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्यता के रूढ़ीवादी तरीके पर विचार किया जाना चाहिए। संयुक्त सचिव, उच्च

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता ... विश्वविद्यालय

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता ...संचार विश्वविद्यालय

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)

राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017

फोन: 0141-2710122 ई-मेल: *registrar.hju@gmail.com* *hju.postal@gmail.com*

		शिक्षा डॉ. मोहम्मद नईम का विचार था कि प्रवेश के समय इच्छुक विद्यार्थियों को तरजीह दी जानी चाहिए।
1–9	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(ख) एवं (ग) के प्रावधानों के अनुसरण में आगामी सत्रों में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित किए जाने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, एम.फिल. एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने के प्रस्ताव क्रमांक 1547 दिनांक 16.01.2020 का अनुमोदन।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। डॉ. मोहम्मद नईम द्वारा सुझाव दिया गया कि एम.फिल. पाठ्यक्रम हेतु आगामी सत्र के अनुभव के आधार पर आगे के लिए विचार किया जाना उचित होगा।
1–10	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(ख) एवं (ग) के प्रावधानों के अनुसरण में आगामी सत्रों में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित किए जाने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, एम.फिल. एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम–वार सीटों का निर्धारण के प्रस्ताव क्रमांक 1548 दिनांक 16.01.2020 का अनुमोदन।	विचार–विमर्श उपरान्त सीटों की संख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। डॉ. नईम का सुझाव था कि डिप्लोमा इन फंग्शनल इंगलिश एवं डिप्लोमा इन फंग्शनल हिन्दी पाठ्यक्रम में सीटों की अभिवृद्धि किया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में आगामी निर्णय हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
1–11	(i) विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(ख) के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानदंड अनुसार एम.फिल. एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने हेतु शोध केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी निर्णय/आदेश क्रमांक 1213 दिनांक 23.12.2019 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
	(ii) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से स्थानान्तरित 07 पीएच.डी. शोधार्थियों का पंजीकरण विश्वविद्यालय के पात्र प्राध्यापकों को शोध निर्देशक बनाते हुए पंजीकरण किए जाने के प्रस्ताव क्रमांक 1561 दिनांक 16.01.2020 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
1–12	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(1) के अनुसार विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
विश्वविद्यालय

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
विश्वविद्यालय

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017
फोनः 0141-2710122 ई-मेलः *registrar.hju@gmail.com* *hju.postal@gmail.com*

	राजभवन के निर्देश अनुरूप राज्य पोषित विश्वविद्यालय में केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था किए जाने के संबंध में संलग्न प्रस्ताव क्रमांक 1562 दिनांक 16.01.2020 का अनुमोदन।	
1–13	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(1) के अनुसार विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं हेतु परीक्षा योजना का निर्धारण जिसमें अनुभाग–अनुसार (sectionwise) प्रश्न पत्रों के निर्माण, मॉडल प्रश्न–पत्र के अनुमोदन, परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णांक, विश्वविद्यालय परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन हेतु अंक विभाजन आदि विषयों पर निर्णय/आदेश क्रमांक 1563 दिनांक 16.01.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा आगामी सत्र में प्रश्न–पत्रों में सभी प्रश्नों के लिए शब्द सीमा तय किए जाने तथा प्रश्न–पत्र को अतिलघु, लघु एवं निबन्धात्मक प्रश्नों में विभाजित किए जाने का सुझाव दिया गया।
1–14	विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 26 (1) (i) के अनुसरण तथा राज्यपाल सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ1(38)आरबी/ 2015/6462 दिनांक 21.08.2017 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में विश्वविद्यालय में परीक्षा सम्बन्धी मानदेय एवं पारिश्रमिक की दरें निर्धारित किए जाने हेतु निर्णय/आदेश क्रमांक 1549 दिनांक 16.01.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
1–15	विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 26 (1)(i) के अनुसरण में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पत्रवार परीक्षार्थियों की संख्या कम होने तथा केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु बाह्य परीक्षकों को गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से प्रति पैकेट न्यूनतम मानदेय/ पारिश्रमिक रु. 1500/– (प्रति पैकेट 100 से कम उत्तरपुस्तिका रहने तक) निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव क्रमांक 1602 दिनांक 16.01.2020 का अनुमोदन।	विश्वविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं हेतु विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव में संशोधन करते हुए प्रति पैकेट उत्तरपुस्तिकाओं की न्यूनतम संख्या 100 के स्थान पर 50 रखने का निर्णय लेकर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
1–16	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 (ii) में उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं धारा 7 (ख) व (फ) के अनुसरण में आगामी सत्र से राजकीय एवं गैर–राजकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्नातक एवं	विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कुलपति
कुलसचिव

HJU
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017
फोनः **0141-2710122** ई-मेलः ***registrar.hju@gmail.com*** ***hju.postal@gmail.com***

	स्नातकोत्तर के डिग्री, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए सम्बद्धता प्रदान किए जाने के प्रस्ताव क्रमांक 1628 दिनांक 16.01.2020 का अनुमोदन।	
1–17	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27 (1) के अनुसरण में विभिन्न संकायों के गठन एवं उनमें समाविष्ट विभागों के निर्धारण सम्बन्धी निर्णय/आदेश क्रमांक 1620 दिनांक 16.01.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
1–18	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 (ख) के अनुसरण में आगामी सत्र से विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) आरम्भ किए जाने के प्रस्ताव क्रमांक 1560 दिनांक 16.01.2020 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
1–19	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 (ख) के अनुसरण में आगामी सत्र से विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में संचालित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के मध्य खेलकूद प्रतियोगिताओ के आयोजन के प्रस्ताव क्रमांक 1559 दिनांक 16.01.2020 का अनुमोदन।	विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालय के मध्य खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ शैक्षिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया।
1–20	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020–2021 में पाठ्यक्रम, परीक्षा–योजना, अंक–विभाजन आदि के संबंध में निर्णय हेतु स्थापित अध्ययन बोर्डों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव को अध्ययन बोर्ड की अभिशंसा अनुसार यथावत स्वीकार करने का निर्णय लिया गया।
1–21	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पटल कार्यसूची (टेबल एजेंडा) पर विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिए गए :**	
1–22	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 (i) व (ii) के अनुसरण में विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में अनुभवी शिक्षक/व्यक्तियों को गेस्ट फैक्लटी के रूप में आमंत्रित किए जाने तथा प्रति व्याख्यान रु. 1500/–का	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
एवं जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
एवं जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017
फोन: 0141-2710122 ई-मेल: registrar.hju@gmail.com hju.postal@gmail.com

	मानदेय निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन।	
1–23	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 (i) व (ii) के अनुसरण में विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए जाने तथा इस हेतु अतिथि विशेषज्ञों को स्तर के अनुरूप रु. 5000/–, रु. 7500/– अथवा रु. 11000/– मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
1–24	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 (i) व (ii) के अनुसरण में विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने हेतु शैक्षणिक पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं होने तक, उनके स्वीकृत पदों पर (Urgent Temporary Basis (UTB) के माध्यम से सीमित समय के लिए नितांत अस्थाई नियुक्ति दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।	परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति दी गई परन्तु यदि इसे लागू करने में किसी प्रकार की अड़चन आती हो तो कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है कि वे राज्य सरकार से बात–चीत कर वैकल्पिक समाधान की व्यवस्था करे।
1–25	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 (ञ) के अनुसरण में शुल्क निर्धारण समिति की संस्तुति के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु शुल्क–संरचना का आदेश/निर्णय क्रमांक 1734 दिनांक 20.01.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
1–26	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 (ग) के अनुसरण में विश्वविद्यालय में सत्र 2019–20 में आरम्भ किए गए विभिन्न प्रोग्रामों में लागू किए गए पाठ्यक्रमों का आदेश/निर्णय क्रमांक 1725 दिनांक 20.01.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री ओम थानवी	कुलपति एवं अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	(हस्ताक्षर)
2	डॉ. मनोज कुमार लोढा	डीन, पत्रकारिता संकाय एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	(हस्ताक्षर)

कुलपति
...जोशी पत्रकारिता
...विश्वविद्यालय
...(राज.)

कुलसचिव
...जोशी पत्रकारिता
...विश्वविद्यालय
...(राजस्थान)

(115)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017
फोनः 0141-2710122 ई-मेलः registrar.hju@gmail.com hju.postal@gmall.com

3	श्री राजपाल सिंह यादव	संयुक्त सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature] 21.1.2020.
4	डॉ. मोहम्मद नईम	संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग एवं सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
5	श्री ओम सैनी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
6	श्री अशोक कुमार शर्मा	कुलसचिव एवं सदस्य सचिव विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
7	श्री रतन सिंह शेखावत	संयोजक BoS, मीडिया स्टडीज विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
8	डॉ. अजय कुमार सिंह	संयोजक BoS, ~~मीडिया~~ ऑर्गनाइजेशन एंड पब्लिक रिलेशंस विभाग एवं एम.फिल. एंड पीएच.डी., विशेष आमंत्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
9	डॉ. ऋचा यादव	संयोजक BoS, न्यू मीडिया विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
10	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	संयोजक BoS, मीडिया डवलपमेंट स्टडीज विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
11	श्रीमती शालिनी जोशी	संयोजक BoS, बीए–जेएमसी एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]

[signature]
कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

[signature]
कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)